6/1/21 वकील प्रार्थी द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन किया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी पक्षकार स्टेट है एवं प्रा. पत्र मुताबिक प्रश्नगत भूमि पौंग बांध आरक्षित रकबा राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, अतः स्टेट के पक्ष को सुने बगैर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है, अतः वकील प्रार्थी का अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन अस्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.23 15:24:24 IST
Reason: SelfAttested

6/1/21

(पवन [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner